



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2()परावि/आरआरडीएस/संस्था/प्रतिनियुक्ति/2018-09250/

जयपुर, दिनांक:-

—: आदेश :-

श्री शैलेन्द्र पचार, सहायक आयुक्त, पंचायती राज विभाग, मुख्यालय को माननीय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग का विशेषाधिकारी नियुक्त किया जाता है। इनके वेतन भत्ते पूर्ववत सहायक आयुक्त, पंचायती राज विभाग, मुख्यालय के पद के विरुद्ध नियमानुसार आहरित किये जायेंगे।

श्री पचार तत्काल अपनी उपस्थिति माननीय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
6. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री शैलेन्द्र पचार, सहायक आयुक्त, पंचायती राज विभाग, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित है।
8. आदेश पत्रावली।

RajKaj Ref
10025087



Signature valid

Digitally signed by Rav Jain
Designation: Secretary To
Government
Date: 2024.08.27 18:54:56 IST
Reason: Approved